न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 15/373

शांति बाई पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, सांगोद जिला – कोटा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी खसरा नं. 761 रकबा 0.05 हैक्टर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 10.09.2014के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.07.2015 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज कर दी ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

अपील अपीलान्ट दर्ज़ रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अपीलान्ट का ग्राम लक्ष्मीपुरा में अपना कोई रिहायशी मकान न होने से ग्राम की आबादी के निकट ही आराजी खसरा नम्बर 738 की 0.29 हैक्टर भूमि को क्रय कर उक्त भूमि के 1/5 हिस्से से भी कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर वर्ष 2005 में मकान निर्माण कराया है जिसके सम्बन्ध में 2005 से जून 2014 तक कभी किसी भी हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाये जाने की रिपोर्ट नहीं की गई किन्तु अचानक जुलाई, 2014 में राजनीतिक दबाव से की गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट उपस्थिति के बिना ही मौके पर पैमाईश करवाकर उक्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2015 निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी की अपीलान्ट की उपस्थिति में पुनः मुस्तकिल बिन्दुओं से विधिवत पैमाईश कर अपीलान्ट को भी शहादत प्रस्तुत करने का न्यायोचित अवसर देकर पुनः निर्णित करने हेतु न्यायालय तहसीलदार, सांगोद को प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया है कि अपीलान्ट का ग्राम लक्ष्मीपुरा में अपना कोई रिहायशी मकान न होने से ग्राम की आबादी के निकट ही आराजी खसरा नम्बर 738 की 0.29 हैक्टर भूमि को क्रय कर उक्त भूमि के 1/5 हिस्से से भी कम क्षेत्रफल के भूखण्ड पर वर्ष 2005 में मकान निर्माण कराया है जिसके सम्बन्ध में 2005 से जून 2014 तक कभी किसी भी हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाये जाने की रिपोर्ट नहीं की गई किन्तु अचानक जुलाई, 2014 में राजनीतिक दबाव से की गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट उपस्थिति के बिना ही मौके पर पैमाईश करवाकर उक्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त फरमाया जावे – अपीलान्ट के उक्त कथनों को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2015 एवं तहसीलदार सांगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी की पैमाईश करवाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 23.04.2018 को तहसीलदार, सांगोद के न्यायालय में उपस्थित हों ।

9. निर्णय आज दिनांक 13.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा